न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अयोध्या

उपस्थितः रणंजय कुमार वर्मा...... एच०जे०एस०

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्याः 56/2026

[रजिस्ट्रेशन नम्बरः 58/2026]

[CNR No. UPFZ010007552026]

शिव कुमार ....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश एवं अन्य ......विपक्षीगण

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण, विद्वान अपर सिविल जज (सी०डि०) तृतीय/ए०सी०जे०एम०, अयोध्या द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या 10/2025, शिव कुमार बनाम बृजेन्द्र यादव एवं अन्य में पारित आदेश दिनांकित 15.12.2025 से क्षुब्ध होकर योजित है। आलोच्य आदेश के द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भा०ना०सु०सं० को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया है।

2. संक्षेप में इस पुनरीक्षण के तथ्य निम्नलिखित हैंः–

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक की तरफ से विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भा०ना०सु०सं० विपक्षीगण बृजेन्द्र यादव एवं अन्य के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 17.05.2022 को आवेदक के बाबा हृदयराम की मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण उनकी लाइसेंसी बन्दूक, जिसका यू.आई.एन. नम्बर 335740025621512015 है, को जालसाजी करके आवेदक व उसके भाईयों के नाम फर्जी हस्ताक्षर कर अनापत्ति शपथपत्र कागज तैयार कर उक्त बन्दूक का लाइसेंस चुपके से अपने नाम कराने हेतु आवेदन किया है, जिसकी जानकारी आवेदक व उसके भाईयों को होने पर उक्त फर्जी शपथपत्र के बारे में जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 से सूचना दिनांक 16.10.2024 को प्राप्त होने के बाद आवेदक द्वारा उक्त फर्जी शपथपत्र के बारे में बृजेन्द्र यादव व राजेन्द्र यादव से जानकारी करने पर उक्त दोनों लोगों आवेदक व उसके भाईयों को मां–बहन की भद्दी–भद्दी गाली दी तथा जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। आवेदक ने इसकी सूचना दूसरे दिन दिनांक 17.10.2024 को थाने पर दिया, लेकिन थाने वालों ने जाँच कर एफ.आई.आर. लिखने की बात कही, किन्तु

Digitally signed by RANANJAY KUMAR VERMA
Date: 2026.07.10 16:52:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आज लगभग 2 माह का समय बीत गया, उक्त थाने वालों ने कोई कार्यवाही नहीं किया, तब आवेदक ने कार्यवाही हेतु एक प्रार्थनापत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को दिनांक 03.02.2025 को दिया, परन्तु कोई कार्यवाही न होने पर आवेदक ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भा०ना०सु०सं० न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे विद्वान अवर न्यायालय ने आलोच्य आदेश दिनांक 15.12.2025 द्वारा परिवाद के रूप में पंजीकृत किया, जिससे क्षुब्ध होकर प्रस्तुत पुनरीक्षण योजित है।

3. पुनरीक्षणकर्ता की तरफ से तर्क किया गया कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध एवं कानूनी मंशा के विपरीत है। विद्वान अवर न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन ध्यानपूर्वक न करके सरसरी तौर पर आदेश पारित कर परिवाद दर्ज कर दिया है। प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भा०ना०सु०सं० में वर्णित तथ्य ऐसे हैं, जिसमें बिना विवेचना के साक्ष्य संकलित हो पाना सम्भव नहीं है। विद्वान अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग न करके पारित किया है, क्योंकि शपथपत्र अभिलेख तैयार कर फर्जी हस्ताक्षर बनाना एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। उपरोक्त आधारों पर पुनरीक्षण स्वीकार कर आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

4. विपक्षी संख्या 1 राज्य की तरफ से विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा यह तर्क किया गया कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं सुसंगत प्रपत्रों का परिशीलन करने के उपरान्त आलोच्य आदेश पारित किया गया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं है और विद्वान अवर न्यायालय ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार का उचित रूप से प्रयोग करते हुये आलोच्य आदेश पारित किया है। पुनरीक्षण आधारहीन है एवं निरस्त होने योग्य है।

5. विपक्षी संख्या 2 एवं 3 की तरफ से यह तर्क किया गया कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर उनके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भा०ना०सु०सं० अवर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसे विद्वान अवर न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर परिवाद के रूप में पंजीकृत किये जाने का आदेश पारित किया गया है। उनके द्वारा कथित कोई फर्जी व कूटरचित शपथपत्र तैयार नहीं किया गया है। उपरोक्त आधारों पर पुनरीक्षण निरस्त

किये जाने की याचना की गयी।

6. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश का परिशीलन किया।

7. विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भा०ना०सु०सं० [156(3) दं०प्र०सं०] पर विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष तीन विकल्प उपलब्ध हैं। प्रथम– प्रार्थनापत्र में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर यदि संज्ञेय अपराध कारित किया जाना परिलक्षित होता हो तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितयों में विवेचना कराया जाना प्रतीत होता हो तो वह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु आदेशित कर सकता है। द्वितीय– वह प्रार्थनापत्र को परिवाद के रूप में दर्ज कर सकता है एवं तृतीय– यदि प्रार्थनापत्र में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर कोई संज्ञेय अपराध बनता प्रतीत नहीं होता तो वह प्रार्थनापत्र को निरस्त कर सकता है। प्रस्तुत मामले में विद्वान मजिस्ट्रेट ने दूसरे विकल्प के आधार पर यह निष्कर्ष दिया है कि मामले में घटना की तिथि, स्थान, साक्ष्य आवेदक के संज्ञान में है और आवेदक स्वतः न्यायालय के समक्ष मामले से सम्बन्धित साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। आवेदक द्वारा ऐसा कोई विशिष्ट तथ्य प्रकाश में नहीं लाया गया है, जिसकी विवेचना पुलिस द्वारा कराया जाना आवश्यक हो व जिससे किसी महत्वपूर्ण तथ्य के प्रकाश में आने की सम्भावना हो। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश में प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने का कारण दर्शित किया गया है।

8. विधि निर्णय "Sukhwasi Vs. State of U.P. 2007 (59) ACC 739" के मामले में माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेन्च द्वारा स्पष्ट रूप से यह मत व्यक्त किया गया है कि मजिस्ट्रेट धारा 156(3) दं०प्र०सं० के तहत प्रस्तुत प्रत्येक प्रार्थनापत्र पर विवेचना का आदेश पारित करने के लिये बाध्य नहीं है। उसे उक्त प्रार्थनापत्र को परिवाद के रूप में दर्ज कर मामले की विवेचना करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसी आशय का मत माननीय उच्च न्यायालय की फुल बेन्च द्वारा "Ram Babu Gupta Vs. State of U.P. 2001 (43) ACC 50 (All–F.B.)" एवं विधि निर्णय "Vinod Kumar Vs. State of U.P. and another, 2023 (124) ACC 91, Allahabad High Court" के मामले में व्यक्त किया गया है।

9. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत न्याय निर्णयन **"Priyanka Srivastava & another Vs. State of U.P. & anoters, 2015 (6) Supreme Court Cases 287"** में प्रतिपादित सिद्धान्त का उल्लेख किया जाना उचित होगा, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत अवधारित किया गया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट धारा 156(3) दं०प्र०सं० के अधीन संस्थित सभी प्रार्थनापत्र को यंत्रवत् स्वीकार कर आदेश करने हेतु बाध्य नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 156(3) दं०प्र०सं० के प्रार्थनापत्र पर विचार करते समय विद्वान मजिस्ट्रेट से उचित न्यायिक मस्तिष्क एवं विवेक का प्रयोग किये जाने की अपेक्षा की गयी है एवं यदि इस स्तर पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा यह पाया जाता है कि मामला पुलिस द्वारा विवेचना योग्य नहीं है तो वह इसे परिवाद के रूप में दर्ज कर सकता है।

10. अवर न्यायालय की पत्रावली पर पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक की तरफ से प्रस्तुत प्रपत्रों के परिशीलन से प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है कि पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक द्वारा कथित फर्जी अनापत्ति शपथपत्र, जिसे जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या के समक्ष प्रस्तुत किया जाना कहा गया है, को निरस्त कर बृजेन्द्र कुमार यादव के विरूद्ध उचित धाराओं में कार्यवाही किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, परन्तु इस स्तर पर पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक की तरफ से ऐसा कोई आदेश/प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे प्रथम दृष्टया उसके तर्कों में बल होना परिलक्षित होता हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विद्वान अवर न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित किये जाने के पूर्व प्रार्थनापत्र में उल्लिखित आरोपों की सत्यता के सन्दर्भ में सम्बन्धित थाने से जांच आख्या आहूत की गयी। जांच आख्या के अनुसार आवेदक शिव कुमार एवं विपक्षीगण बृजेन्द्र यादव व राजेन्द्र यादव एक ही परिवार के सदस्य हैं। तदनुसार विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश में की गयी अवधारणा कि मामले में घटना की तिथि, स्थान, साक्ष्य आवेदक के संज्ञान में है और आवेदक स्वतः न्यायालय के समक्ष मामले से सम्बन्धित साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, प्रथम दृष्टया विधिसम्मत परिलक्षित होती है। प्रकरण प्रथम दृष्टया अभिलेखीय साक्ष्यों पर आधारित होना परिलक्षित होता है।

11. आलोच्य आदेश के परिशीलन से स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का न्यायोचित विश्लेषण कर आलोच्य आदेश पारित किया है। आलोच्य आदेश में न तो कोई अशुद्धता है, न कोई अनियमितता है और न ही

कोई अवैधानिकता है। विद्वान अवर न्यायालय ने अपने निहित क्षेत्राधिकार का समुचित प्रयोग करते हुये आलोच्य आदेश पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है। पुनरीक्षण आधारहीन है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

दाण्डिक पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 15.12.2025 की पुष्टि की जाती है।

अवर न्यायालय अभिलेख वापस हो।

(रणंजय कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अयोध्या
JO CODE: UP1908

दिनांकः 10.07.2026

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

(रणंजय कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अयोध्या
JO CODE: UP1908

दिनांकः 10.07.2026